हिन्दुस्तान

नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 जून, 2001

कृषि अधिकार और विश्व व्यापार समझौता

इस बात को मान्यता देने की जरूरत है कि कृषि -प्रबंधन में संलग्न विभिन्न कर्त्ताओं के अपने ज्ञान या संसाधनों पर अधिकार बनते ही हैं। ज्यादा बुनियादी बात यह है कि वनस्पति विविधताओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार लागू करते हुए कृषि और भोजन की मूलभूत जरूरतों की आपूर्त्ति के संबंध को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

फिलिप कलैट

विश्व व्यापार संगठन में हुए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापारिक पहलुओं से संबंधित समझौते (ट्रिप्स) के अंतर्गत हमारी सरकार पर वनस्पति की विविधताओं के संदर्भ में जो बाध्यताएं आयद होती हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश में ही वनस्पति-विविधताओं की सुरक्षा और कृषि अधिकारों के विधेयक तैयार किए गए हैं। ट्रिप्स के एक विशेष प्रावधान के तहत वनस्पति विविधता के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के लिए तमाम राज्य बाध्य हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा का स्वरूप चुनने के लिए स्वतंत्र भी हैं। यह विधेयक दिसंबर 1999 में संसद में पेश किए जाने के बाद एक संसदीय समिति को सौंपा गया था। अगस्त, 2000 में इस समिति ने अपनी रपट के साथ इसका एक पर्याप्त संशोधित मसौदा वापस संसद के सुपुर्द कर दिया। ट्रिप्स द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार एक जनवरी, 2000 तक इस विधेयक को पारित कर दिया जाना चाहिए था। फिलहाल वह संसद की प्राथमिकता सूची में विचाराधीन है।

सरकार ने फैसला किया है कि वह वनस्पति की विविधताओं पर पेटेंट लादने की बजाय बौद्धिक संपदा अधिकारों की अपनी व्यवस्था निर्मित करेगी। इस बारे में यह दलील दी गई थी कि वनस्पति-विविधता के रक्षार्थ हुए सम्मेलन (उपोव) की अभिपुष्टि करने के बजाय, देश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल एक कानून तैयार किया जाए। अपने मौजूदा स्वरूप में इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वनस्पति-उत्पादकों एवं किसानों के अधिकारों को स्थापित करना है। लेकिन हैरानी की बात है कि वनस्पति-उत्पादकों एवं किसानों के अधिकारों का दावा करने वाले इस विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्था मोटे तौर पर उपोव द्वारा प्रस्तुत ढांचे की ही नकल है। इसमें प्रस्तावित अधिकार व्यावसायिक बीज उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए यहां भी पंजीकरण की कसौटियां वही हैं जो उपोव ने सुझाई हैं, यानी नवीनता, विशिष्टता, समरूपता और स्थिरता। विधेयक में केवल उपोव के 1978 के संस्करण की सामग्री ही नहीं बल्कि 1991 के अपेक्षाकृत ज्यादा अधिक कड़े संस्करण की भी कुछ बातें समाहित कर ली गई हैं, मसलन मूलत: अमौलिक वनस्पति-प्रकारों के पंजीकरण की संभावना।

विधेयक का दूसरा मुख्य उद्देश्य किसानों के अधिकारों को लागू करना है। इस मसले पर संयुक्त समिति ने प्रस्तावित कानून में भारी संशोधन किए हैं। दरअसल, पहले संस्करण में किसानों के अधिकारों को लेकर मात्र एक छोटा-सा प्रावधान था, जो इस मसले की जटिलता से न्याय नहीं करता। यहां तक कि इस विधेयक के नाम को चरितार्थ करने के लिए भी वह नाकाफी था। लगातार कई सुनवाइयों के बाद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विधेयक असंतुलित था और किसानों के अधिकारों पर एक पूरा अध्याय उसमें जोड़ा गया। नए संस्करण में किसानों के अधिकारों को वनस्पति-उत्पादकों के बराबर ही तरजीह दी गई है। मसलन, इसमें प्रावधान है कि व्यावसायिक उत्पादकों की तरह किसान भी किसी वनस्पति का पंजीकरण करा सकते हैं। सामान्यत: इस विधेयक की परिकल्पना है कि किसानों को व्यावसायिक उत्पादकों के समकक्ष रखा जाए और उन्हें अपने द्वारा विकसित वनस्पति-प्रकारों पर उन जैसी ही सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये नए प्रावधान सैद्धांतिक रूप से तो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये किसानों और उत्पादकों को समान अधिकार देते हैं, लेकिन व्यवहार में इनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधेयक में उपोव सम्मेलन की पंजीकरण कसौटियों को स्वीकार कर लिया गया है और ये कसौटियां व्यावसायिक उत्पादकों को ही मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं जो किसानों द्वारा विकसित वनस्पति-प्रकारों पर सामान्यत: लागू नहीं की जा सकतीं, क्योंकि हमारे यहां के किसान इनकी शर्तें ही पूरी नहीं कर पाएंगे।

वनस्पति-विविधता विधेयक में लाभ में साझेदारी का मसला कई मायनों में समस्यामूलक है। प्रथमत: यह इस तथ्य को सामने रखता है कि जैव-विविधता के प्रबंध में संलग्न किसानों को संपत्ति के अधिकार आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते, हालांकि सैद्धांतिक स्तर पर उनके लिए ये संभावना खुली है। दूसरे, साझीदारी की अन्य योजनाओं के मौजूद होने के बावजूद, इस विधेयक में लाभ में साझेदारी को केवल आर्थिक मुआवजे के रूप में पेश किया गया है। तीसरे, लाभ में साझेदारी के दायरे में मुख्यत: केवल उस जेनेटिक सामग्री को लाया गया है जिसका उपयोग किसी संरक्षित वनस्पति-प्रकार के विकास में किया गया है। अन्य संभव बौद्धिक योगदानों का कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया है।

इस विधेयक के संदर्भ में यह ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसे ट्रिप्स की बाध्यताओं के जवाब में तैयार किया गया है इसीलिए यह देख कर आश्चर्य होता है कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि की उपज हैं जो मूलत: भिन्न जमीनी यथार्थ रखने वाले मुल्कों के लिए तैयार की गई थी। जबकि ट्रिप्स में ऐसा कुछ नहीं है जो 'उपोव' सम्मेलन की सोच पर निर्भर करने या उसे उधार लेने के लिए बाध्य करे। समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के बाद विधेयक का नजरिया हालांकि पहले से ज्यादा संतुलित हुआ है, लेकिन वनस्पति-प्रकारों के पंजीकरण की कसौटियां, किसानों और वनस्पति-उत्पादकों के लिए समान होने के कारण विधेयक के प्रावधानों से किसानों को अधिक लाभ नहीं मिलेगा। इसके मौजूदा स्वरूप से साफ जाहिर हो जाता है कि मुख्य रूप से व्यावसायिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने वाली इसकी नियम-व्यवस्था में किसानों के अधिकारों से संबंधित अध्याय एक पाश्चात्य विचार के रूप में जोड़ा गया है। दरअसल, इस बात को मान्यता देने की जरूरत है कि कृषि -प्रबंधन में संलग्न विभिन्न कर्त्ताओं के अपने ज्ञान या संसाधनों पर अधिकार बनते ही हैं। ज्यादा बुनियादी बात यह है कि वनस्पति विविधताओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार लागू करते हुए कृषि और भोजन की मूलभूत जरूरतों की आपूर्त्ति के संबंध को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इससे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकलेगा कि व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने की जरूरत सामने आएगी ताकि व्यक्ति स्तर पर भोजन की सुरक्षा प्रभावित न हो।

पर्यावरण-रक्षा के संदर्भ में यह विधेयक ट्रिप्स की पर्यावरण व स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छूटों को समाहित करता है। पेटेंट करवाए गए आविष्कार में प्रयुक्त जैव सामग्री के भौगोलिक स्रोत का खुलासा करने की शर्त रख कर यह विधेयक जैव चोरी के सवाल से भी मुखातिब होता है। इस सिलसिले में दूसरा प्रावधान है कि यदि भौगोलिक स्रोत या स्थानीय और देसी ज्ञान में आविष्कार के पूर्वानुमान की घोषणा नहीं की गई तो पेटेंट वापस लिया जा सकता है या पेटेंट होने से रोका जा सकता है।

(लेखक लंदन विश्वविद्यालय में 'जैव विविधता' पर शोध कर रहे हैं।)